I/45579/2023

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,चंडीगढ़ /Integrated Regional Office, Chandigarh

F.No.:- 9-PBB363/2022-CHA

दिनांक: May, 2023

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
पंजाब सरकार, लघु सचिवालय,
सेक्टर-9, चण्डीगढ ।
(fcf@punjab.gov.in)

विषय: **Diversion of 0.0041 ha of forest land for approach road to Guru Nanak Dev Nursing College at Village Qila Kavi Santokh Singh on Tarn Taran-Chabhal road Km. 3-4 L/side, District Tarn Taran, under forest division Amritsar, Punjab. (Online Proposal No. FP/PB/Approach/149545/2021)**

संदर्भ: (i) State Government letter no. FOREST-FCA0FC5A/5/2022-FCA dated 12.10.2022
(ii) अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक व नोडल अधिकारी के पत्र संख्या FOREST-FCA0FC5A/5/2022-FCA दिनांक 15.05.2023

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त प्रस्ताव की और दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **0.0041** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **सैद्धांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

(A) **वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-**

i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए |

FCA @ s/c

ii. WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजैंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

1174 5/6/2023

iii. प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगी |

iv. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उतपन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते है | अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I Clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा|

v. वनमंडल अधिकारी यह लिखित आश्वाशन (Undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदलेंगे |

vi. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह लिखित आश्वाशन (Undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वनमंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे |

बेज नं.24-25, सेक्टर-31 ए,चंडीगढ़-160030 /Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh-160030
दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 Fax No : 0172-2638135 Email: ronz.chd-mef@nic.in

1/45579/2023

vii. सक्षम प्राधिकारी से निर्गत FRA प्रमाणपत्र जमा करना होगा |

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वनभूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

ii. प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष/पौधा नहीं काटा जाएगा |

iii. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार degraded वन भूमि LBC Rd 133-134 L/side, village Kohali & Bhitte Wadh, Tehsil Ajnala and District Amritsar में 100 पौधें लगाकर किया जाएगा और धन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा|

iv. वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदलेंगे|

v. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे|

vi. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML files को अपलोड करेगी |

vii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा |

viii. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे |

ix. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी | इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि जो भी कम हो के सह-समाप्ति होगी |

x. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे |

xi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xiii. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा | अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xiv. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|

बेज नं.24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 /Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh-160030
दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 Fax No : 0172-2638135 Email: ronz.chd-mef@nic.in

1/455?9/2023

xv. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।

xvi. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेशआदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।

3. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त वन संरक्षण अधिनिय, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।*केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा।*

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है।

भवदीय

Signed by Raja Ram Singh
Date: 02-06-2023 12:47:56
Reason: Approved

Sd/-
(राजा राम सिंह)
उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक (ROHQ), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली ।(ramesh.pandey@nic.in)
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब, फॉरेस्ट कॉम्पलैक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब। (pccfpunjab @gmail.com)
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CAMPA, फारेस्ट कॉम्प्लेक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब (ceo.puncampa@gmail.com)
4. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला अमृतसर, पंजाब। (dfoamritsar@rediffmail.com).
5. GURU NANAK DEV NURSING COLLEGE, VILLAGE QILA KAVI SANTOKH SINGH, CHABHAL-TARN TARAN ROAD TEHSIL AND DISTRICT TARN TARAN (sanghagurman@gmail.com)

बेज नं.24-25, सेक्टर-31 ए,चंडीगढ़-160030 /Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh-160030
दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 Fax No : 0172-2638135 Email: ronz.chd-mef@nic.in

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 2591-92 ਮਿਤੀ 12-06-2023

1 ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ M/s Guru Nanak Dev Nursing College, Village Qila Kavi Santokh Singh, Chabal-Tarn Taran Road, Tehsil & District Tarn Taran ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ:

ਸੀ.ਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ	-	54,735/-
ਐਂਟੀਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ	-	5,474/-
ਐਨ.ਪੀ.ਵੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ	-	3,927/-
ਕੁੱਲ ਬਣਦੀ ਰਕਮ	-	64,136/-

ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮਾਂ www.parivesh.nic.in ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੰ: 2A (vii) ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਐਫ.ਆਰ.ਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੰ: 2B ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਣ ਰਕਬੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਨ ਫਾਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ 55000/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1,15,900/- ਰੁਪਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨਜਆਰ.ਟੀ.ਜੀ.ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਰਸੀਦ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ:

Reciver Name – Md, Punjab State Forest Development Corporation Limited
Account No- 50200043910029
IFSC Code - HDFC0000450
Bank Address- HDFC Bank, SCO No.382 Sector 37D, Chandigarh.

ਉਕਤ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2 ਕਾਪੀ ਵਣ ਰੇਂ ਜ ਅਫਸਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਜਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਫ.ਸੀ.ਏ 1980 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।

ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।